Additional Attachment -2.1

परियोजना का नाम– जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण ।

प्रस्ताव की औचित्य एवं आवश्यकता

जनपद नैनीताल के अन्तर्गत तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 किमुपानी थानदेव से सैमधार के सैममन्दिर तक मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु लम्बाई 5.00 किमी0 कार्य की स्वीकृति शासना देश संख्या 2011/III(2)/16–59(एम0एल0ए0)/2016 दिनांक 28.06.2016 के तहत हुई। जिसके अनुसार मोटर मार्ग के स्वीकृत समरेखण के अन्तर्गत प्रभावित भूमि का संयुक्त निरीक्षण कराकर वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव नियमानुसार गठित किया गया है। यह क्षेत्र फल पट्टी भू–भाग, सब्जी उत्पादक तथा दुग्ध उत्पादक क्षेत्र है। मोटर मार्ग से सम्पर्क नहीं होने के कारण तथा संकरे पगडण्डी रास्ते होने से स्थानिय काश्तकारों को सदैव काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। शासन से बार–बार मोटर मार्ग की मांग करने के फलस्वरूप उक्त शासनदेशानुसार मोटर मार्ग की स्वीकृति प्राप्त हुई है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम हली एवं सकूना के अतिरिक्त इस क्षेत्र से लगे अधिकांश गॉवो से सम्पर्क हो सकेगा तथा समस्त गॉव प्रत्यक्ष रूप से लाभन्वित होंगे। यह मोटर मार्ग तल्ला रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 से लम्बाई 5.00 किमी0 में निर्मित किया जाना है ।

इस मार्ग के निर्माण हेतु 2 संरेखणो पर विचार किया गया है जिन्हे प्रस्ताव में संलग्न गुगल मानचित्र में अलग–अलग रंगो से दर्शाया गया है। साथ ही 1:50000 पैमाने के इन्डैक्स मानचित्र एवं डिजिटल मानचित्र में भी प्रस्तावित स्वीकृति संरेखण को दर्शा कर प्रस्ताव में लगाये गये हैं।

संरेखण नं0–1 जो लाल रंग से दर्शाया गया है, यह मार्ग पूर्व निर्मित मोटर मार्ग रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 से किमुपानी थानदेव नामक स्थान से प्रस्तावित किया गया है। जिसे बैगनी रंग से दर्शाया गया है। इसके अनुसार संरेखण में वन पंचायत, सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है। इस संमरेखण से अधिक आवादी लाभान्वित होती है। इस संरेखण के अन्तर्गत वृक्ष तथा बैन्ड कम आते है। मानकों के अनुसार सही ग्रेड मिलता है, इस संरेखण से सभी ग्रामवासी सहमत है।

संरेखण नं0–2 जो हरे रंग से दर्शाया गया है, यह मार्ग पूर्व निर्मित मोटर मार्ग रामगढ़ रातीघाट मोटर मार्ग के किमी0 6 से प्रस्तावित किया गया है। जिसे बैगनी रंग से दर्शाया गया है। इसमें बैन्ड अधिक आने से वृक्ष भी अधिक प्रभावित होते है। इसके अनुसार मोटर मार्ग निर्माण करने में मानको के अनुसार सही ग्रेड न मिलने एवं अधिक नाप भूमि प्रभावित होने से ग्रामवासी भी सहमत नही है।

उपरोक्त दोनों समरेखणों का भू–वैज्ञानिक द्वारा भी निरीक्षण किया गया है, तथा उनके द्वारा संरेखण नं0–1 को मोटर मार्ग निर्माण हेतु तकनीक, पर्यावरणीय एवं भू गर्भीय दृष्टि से उपयुक्त पाया गया है। प्रस्तावित स्वीकृति समरेखण नं0–(1) के अन्तर्गत मार्ग के प्रारम्भिक बिन्दु से 5.00 किमी0 लम्बाई तथा 9.00 मीटर चौड़ाई के लिए क्रमशः वनपंचायत भूमि, सिविल सोयम भूमि एवं नाप भूमि आती है, जिसमें 3040 मीटर लम्बाई में वनपंचायत भूमि, 910 मीटर लम्बाई में सिविल सोयम भूमि तथा 1050 मीटर लम्बाई में नाप प्रभावित भूमि होती है।

अतः 5.00 किमी0 के अन्तर्गत प्रभावित वन भूमि (वनपंचायत) लम्बाई 3040 मीटर, (सिविल सोयम) लम्बाई 910 मीटर तथा चौडाई 9.00 मीटर में प्रभावित होने वाली 3.555 है0 वन भूमि का गैरवानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन एवं लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण तथा 71 वृक्षों के पातन की स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्राविधानों के अन्तर्गत यह प्रस्ताव गठित कर प्रेषित किया जा रहा है।

सहायक अभियन्ता	अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
नैनीताल।	नैनीताल।